



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243305
CG-DL-E-31012023-243305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]
No. 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 65(अ).—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दशाई गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित मुंबई पत्तन प्राधिकरण के 02 (दो) अधिकारियों को इस सांविधिक संगठन के प्रथम श्रेणी के पदधारी अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारीगण, उक्त तालिका के कॉलम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा “संपदा अधिकारी” को दिए गए कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे:

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	लोक परिसरों की श्रेणियां	कार्यकाल
1	2	3
(i) श्री आर.के.रामगुडे, उप-प्रबंधक (कल्याण)	मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा पूर्ववर्ती मुंबई डॉक श्रमिक बोर्ड के सभी सरकारी आवासीय मकान जो अब दिनांक 25.02.1995 की अधिसूचना का.आ. 113 (ई) के अनुसार सरकार में विहित है तथा कर्मचारियों/ पूर्व कर्मचारियों को आबंटित हैं।	पांच वर्ष अथवा जब तक वे सेवारत रहें, जो भी पहले हो

	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के तहत गठित मुंबई पत्तन बोर्ड के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए सभी परिसर और पूर्व के मुंबई डॉक श्रमिक बोर्ड की सभी परिसंपत्तियां, जो अब दिनांक 25.02.1995 की अधिसूचना सं.का.आ. 113 (ई) द्वारा सरकार के पास विहित हैं।	
ii. श्री आर.जे. सावंत, वरिष्ठ उप-यातायात प्रबंधक	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 के तहत गठित मुंबई पत्तन बोर्ड के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए सभी परिसर और पूर्व के मुंबई डॉक श्रमिक बोर्ड की सभी परिसंपत्तियां, जो अब दिनांक 25.02.1995 की अधिसूचना सं.का.आ. 113 (ई) द्वारा सरकार के पास विहित हैं।	पांच वर्ष अथवा जब तक वे सेवारत रहें, जो भी पहले हो

2. उक्त नियुक्तियां, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए-12011/2/2019-पीई.II]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2023

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central Government hereby appoints the 2(two) officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers of the Mumbai Port Authority holding Class I post(s) of this Statutory Organization to be Estate Officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officers by or under the said Act, in respect of the premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of Officer(s) 1	Categories of Public Premises 2	Tenure 3
(i) Shri R. K. Ramgude, Deputy Manager (Welfare)	All official residential accommodation belonging to Mumbai Port Authority and the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Government in terms of notification SO 113 (E) dated 25.2.1995 and allotted to employees/ ex-employees. All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai Constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Government in terms of notification SO 113 (E) dated 25.2.1995.	For a period of five years or till he remains in service whichever is earlier.
(ii) Shri R. J. Sawant, Sr. Deputy Traffic Manager	All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the Board of Port of Mumbai Constituted under Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and all the properties belonging to the erstwhile Bombay Dock Labour Board now vested with Government in terms of notification SO 113 (E) dated 25.2.1995.	For a period of five years or till he remains in service whichever is earlier.

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/2/2019-PE.II]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.